बेटी बचाओ
Save the girl Child

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट/एल.ए./2015/ 29 दिनांक : 15/01/15

कार्यवाही विवरण

दिनांक 02.01.2015 को माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन के आरएचएसडीपी हॉल में 11 एएम पर **"बेटी बचाओ अभियान प्रकोष्ठ"** की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों का विवरण (परिशिष्ठ/A) पर संलग्न है। प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक के एजेन्डा अनुसार विचार–विमर्श करके सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये जाकर इनकी अनुपालना की जिम्मेदारी हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया :–

एजेन्डा 1 :– **कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा बालिकाओं के हितों की रक्षा करने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना।**

A. बेटी बचाओ राज्य प्रकोष्ठ की तर्ज पर सभी जिलो में भी प्रकोष्ठ का गठन किया जाये, जिसमें स्थानीय आईएमए/आईआरआईए/फोग्सी/एनजीओ व अन्य सामाजिक व महिला संगठनो के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। (निदेशक **आईईसी/परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी/सलाहकार (आईईसी) 31 जनवरी, 2015 के पूर्व आदेश जारी करें।**)

एजेन्डा 2 :– **सभी प्रकार के धार्मिक/सामाजिक/महिला/गैर सरकारी/शैक्षणिक /व्यवसायिक संगठनो से आपसी तालमेल कर बालिकाओं के हित में कार्य करना/गतिविधियां आयोजित करना।**

A. सभी प्रकार के धार्मिक/सामाजिक/महिला/गैर सरकारी/शैक्षणिक/व्यवसायिक संगठनों के सहयोग से दिनांक 24.01.2015 **"विश्व बालिका दिवस"** पर हाल ही में, झुन्झुनू जिला मुख्यालय पर आयोजित **"बेटी बचाओ"** शपथ ग्रहण समारोह की भांति अन्य जिलो में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करना तथा इसी दिन सभी जिलो में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयो में **"बेटी बचाओ"** से संबंधित हस्ताक्षर अभियान व कपड़ो या पोस्टर पर हस्ताक्षर अभियान चलाना। (**निदेशक आईईसी/परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी/सलाहकार (आईईसी)**)।

B. सभी धार्मिक गुरूओ व सामाजिक संगठनो के मुखियाओ को **"बेटी बचाओ अभियान"** में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करना तथा सभी धार्मिक व सामाजिक मेलों में बेटी बचाओ अभियान का सघन प्रचार–प्रसार करना। (**निदेशक आईईसी/राज्य व जिला प्रकोष्ठ**)

C. **"पधारो म्हारी लाडो"** दैनिक भास्कर, जयपुर द्वारा **"बेटी बचाओ अभियान"** से जुडकर उनके द्वारा जारी प्रचार–प्रसार के कलेण्डर के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाना, इसी प्रकार अन्य मीडिया घरानो से सहयोग लेना। (**निदेशक आईईसी/राज्य व जिला प्रकोष्ठ**)

D. सीआईआई, फिक्की, असोचेएम व अन्य व्यवसायिक संगठनो से **Corporate Social Responsibility (CSR)** के अन्तर्गत **"बेटी बचाओ अभियान"** संबंधी गतिविधियां आयोजित करवाना (सेन्ट्रल सर्वर रूम)।

E. सभी कार्यक्रमों में **"भ्रूण लिंग के परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा तथा मुखबीर योजना"** पर की जा सकती है, का प्रचार–प्रसार करें। (**निदेशक आईईसी/राज्य व जिला प्रकोष्ठ**)

एजेन्डा 3 :– सोनोग्राफी तथा डायग्नोस्टिक केन्द्रों में कन्याओं के प्रति करूणा की भावना जागृत करते हुऐ, उनके सहयोग से कन्या भ्रूण की जांच रोकने में सामाजिक सरोकार पैदा करना।

A. सभी सोनोग्राफी व डायग्नोस्टिक केन्द्र भ्रूण लिंग परीक्षण **"न करेंगे व न करने देंगे"** की शपथ लेवें। **(अध्यक्ष आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी)**
B. सभी निजी चिकित्सा संस्थानों व राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रिंट करवायी जाने वाले प्रेस्क्रिपशन स्लीप (Prescription Slip) पर **"भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना जघन्य अपराध है, तथा इसकी शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर की जा सकती है"** को प्रिंट करवायेंगे। **(अध्यक्ष आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी, इंडीआरएमएससीएल)**
C. सभी सोनोग्राफी केन्द्र **"भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर की जा सकती है"** का साईन बोर्ड लगावें।**(अध्यक्ष आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी, सीएमएचओ)**
D. अगर किसी सोनोलोजिस्ट/रेडियोलोजिस्ट पर भ्रूण लिंग परीक्षण करने का गर्भवती महिला या परिजनों द्वारा दबाव डाला जाता है, तो **Online Form F** के **IMPACT** सॉफ्टवेयर पर **Red Alert** भेजें अथवा 104 टोल फ्री पर शिकायत दर्ज करावें।**(अध्यक्ष आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी, सलाहकार–आईटी, 104 टोल फ्री)**
E. अगर कोई सोनोग्राफी केन्द्र भ्रूण लिंग परीक्षण के लिये दबाव डालने वाली महिला या परिजनों की गुप्त सूचना देता है, तो उसे भी मुखबीर योजना के तहत ईनाम देने की व्यवस्था करवाना। सदस्यों ने इस पर कई प्रकार के विचार प्रकट किये तो माना गया कि मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं राज्य समुचित प्राधिकारी इस पर स्थिति का विश्लेषण करलें। **(अध्यक्ष आईएमए, आईआरआईए, फोग्सी, परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी)**

एजेन्डा 4 :– आवश्कयतानुसार सरकारी/निजी क्षेत्रों में कार्यरत सभी कार्मिको को गर्भस्थ बेटी तथा **पैदा हो चुकी बेटी की सृजनता पूर्वक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना।**

A. सभी कार्मिकों को **"बेटी बचाओ"** संबंधी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना, भ्रूण लिंग परीक्षण न करवाना तथा न करने देने की शपथ दिलवाना। **(निदेशक, आईईसी/परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी)**
B. होनहार बच्चियों का शिक्षा, खेलकूद व नौकरी हेतु प्रेरित करने हेतु आर्थिक व मनोवैज्ञानिक सहयोग पैदा करने बाबत् प्रोत्साहन करना।**(निदेशक, आईईसी/परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी)**

एजेन्डा 5 :– "बेटी बचाओ अभियान" को अत्यन्त सरल तरीके से शहरों/कस्बों/गांवो तथा वार्ड/मोहल्लों तक पहुंचाना तथा हर प्रकार के महिला संगठनों को इस कार्य हेतु तैयार करना

A. प्रत्येक गली/मोहल्लों/वार्ड में कन्या के महत्व को Street Talk में शामिल करना।
B. प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक कन्या का जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनवाना।
C. एफ0एम0 रेडियो/रेडियो/दूरदर्शन चैनल पर स्थानीय भाषा में बेटी बचाओं संबंधी जिंगल चलाना।
D. बेटी बचाओ अभियान से संबंधित उल्लेखनीय कार्य करने वाली आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी कार्यकर्ता व ए.एन.एम. में से प्रतिवर्ष क्रांतिदूत का चयन करके उसे सम्मानित करना।
E. मातृ रक्षा दल (जिसमें दादी, नानी, काकी, जेठानी शामिल हो) का गठन करना। **(निदेशक, आईईसी/जिला प्रकोष्ठ/सलाहकार आईईसी)**

F. कन्या भ्रूण जैसी नृशंस घटनाओं को लेकर झकझोरने वाले पोस्टर बनवाये जाकर उन्हें अस्पतालों/विभिन्न निजी/सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उचित स्थानों विशेषत: प्रतीक्षालय में डिस्प्ले करना।**(मिशन निदेशक (एनएचएम))**

G. चिकित्सक पर्चियों पर 104 हेल्प लाइन की सहायता (लिंग परीक्षण की शिकायत) की बात का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करना तथा इसी प्रकार (IMA/FOGSI) सदस्यों से भी अपनी Prescription slip पर मेसेज (कन्या बचाओं/बेटी बचाओं) आदि लिखने का आहवान किया गया, मोन्यूमेन्टस/अन्य स्थानों की ट्वीटर पर करना। **(मिशन निदेशक (एनएचएम))**

H. एफ फॉर्म Submission पर RED ALERT (IMPACT) **(सलाहकार –आईटी)**

एजेन्डा 6 :– देश, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर मनाये जाने वाले अनेक पर्वो पर बेटियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने तथा उनके अधिकारो को और प्रखरता से जन समुदाय के सम्मुख लाने के लिए कार्यक्रम लाना तथा उसे लागू करना।

A. **"बेटी बचाओं"** की थीम को प्रत्येक पर्व में लाकर उसके महत्व पर प्रकाश डालना।

B. राज्य के सभी सिनेमाघरों में **"बेटी बचाओ व भ्रूण लिंग परीक्षण करवाकर गर्भपात करवाना"** से नि:संतानता का खतरा हो सकता है की स्लाइड चलवाना।

C. राज्य सरकार के PCTS सॉफटवेयर की प्रभावी मॉनिटरिंग करवाना।

D. क्या आपके पास **"मौन चित्कार"** सुनने के लिये पांच मिनट है?, का एनजीओ, निजी चिकित्सालयों, सार्वजनिक उपक्रमां व राजकीय संस्थानों के कार्यालय में प्रतीक्षालय में पोस्टर लगवाना।

E. नेहरू युवा केन्द्र, युवा विकास केन्द्र, एन.सी.सी. के माध्यम से **"बेटी बचाओं"** के अभियान के तहत महाविद्यालयों में नुक्कड नाटक व भाषण प्रतियोगिता आयोजित करवाना। **(निदेशक, आईईसी/जिला प्रकोष्ठ)**

❖ **"बेटी बचाओं अभियान"** की ब्रांड एम्बेसेडर राजकुमारी दीया कुमारी ने बेटी बचाओं अभियान को एक जन समुदाय का अभियान बनाने का आह्वान किया जिसमें सभी आयुवर्ग के लोगों को शामिल किया जा सके। ब्रांड एम्बेसेडर ने दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा रूढीवादी सामाजिक परम्परा जो बेटियों के जन्म लेने एवं आगे बढने में बाधक है, उन्हें तोडने के लिये सामाजिक जनजागृति पैदा करने की कोशिश करने पर बल दिया।

प्रमुख शासन सचिव श्री मुकेश शर्मा ने बेटी के प्रति सामाजिक सोच बदलने का आह्वान किया।

प्रकोष्ठ की अगली बैठक फरवरी माह में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त हुई।

(नीरज के. पवन I.A.S.)
सचिव, बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ एवं
अति0 मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीया विधायक, सवाईमाधोपुर।

3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक, आरएमएससी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
9. वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
10. निदेशक, जन-स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
12. अति. निदेशक (आईसीडीएस) एवं अति. निदेशक, (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोलोजी विभाग, सवाईमानसिह अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
14. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक (एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
15. अध्यक्ष, इण्डियन रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन, राजस्थान, चेप्टर।
16. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान चेप्टर।
17. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एण्ड गायनोलॉजिकल सोसाईटी ऑफ इन्डिया, राजस्थान, चेप्टर।
18. सेन्ट्रल सर्वर रूम।
19. रक्षित पत्रावली।

(किशनाराम ईशरवाल)
**परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।**

"बेटी बचाओं अभियान प्रकोष्ठ" की प्रथम बैठक दिनांक 02.01.2015 को उपस्थित सदस्यगण एवं आमंत्रित पदाधिकारीगणः—

1. श्रीमती राजकुमारी दीया कुमारी, माननीया विधायक, सवाई माधोपुर।
2. श्री नवीन जैन, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक महोदय एनएचम, राजस्थान जयपुर।
3. श्री नीरज के. पवन, अति० मिशन निदेशक महोदय, एनएचएम, राजस्थान जयपुर।
4. श्री एस.पी.सिंह, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
5. डॉ० एस.डी. शर्मा, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
6. डॉ० लता राजोरिया, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
7. डॉ० बी.आर. मीणा, निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
8. डॉ० हरिओम नारायण शर्मा, निदेशक आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
9. डॉ० वी.के. चोमाल, अति० निदेशक आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. डॉ० एस.के. अग्रवाल, वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोलॉजी विभाग, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
11. डॉ० अनुराधा असवाल, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचम, राजस्थान, जयपुर।
12. डॉ० एम.पी. गोयल, अध्यक्ष, इंडियन रेडियोलॉजी एवं इमेजिग एसोसिएशन, राजस्थान।
13. डॉ० एस.एस. अग्रवाल, अध्यक्ष, इंडियन मेडीकल एसोसिएशन, राजस्थान।
14. डॉ० लीला व्यास, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एण्ड गायनोकोलॉजिकल, सोसायटी ऑफ इंडिया, राजस्थान।
15. श्री किशनाराम ईसरवाल, परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
16. श्री अनील राव, अति० पुलिस अधीक्षक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।